कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर

लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाये जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	बिन्दु	उत्तर
(i)	संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य	जिला निर्वाचन अधिकारी,कुशीनगर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी, मतदाता फोटो पहचान–पत्र की तैयारी तथा लोकसभा /विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से संबंधित कार्यो का सम्पादन।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	निर्वाचन संबंधित सभी शक्तियॉ भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ में निहित है। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ उच्च अधिकारियों द्वारा सौपे गये कार्यो को ससमय कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य को सम्पादित करना।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रखयापित अधिनियमों /नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शोक के अन्तर्गत जनपद स्तार पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नामित है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी /कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से संबंधित कार्यकमों/कार्या का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। कार्यालय में प्रातः 10–00 बजे से सायं 5–00 बजें तक उपस्थित रहकर कार्यो का सम्पादन करना तथा आमजन द्वारा चाही गई जानकारी/सूचना को ससमय उपलब्ध कराया जाना है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गएं नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखो को ध्यान में रखकर कार्यो का सम्पादन किया जाना।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग के बेवसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्योवेदन के लिए विद्यमान है।	भारत निर्वाचन आयोग/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली, मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र आदि के संबंध में राजनैतिकदल एवं आमजन से परामर्श लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका	